न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 39 / 2023
वादिया :—

1. श्रीमति कमला देवी पुत्री राणाराम पत्नी पारसराम जाति जाट(थिरोदा) निवासी चिरढाणी तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. गंगाराम पुत्र राणाराम
2. गोरधनराम पुत्र राणाराम
3. सोहनलाल पुत्र राणाराम जातियान जाट(सारण) निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. एक्सीस बैंक शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
5. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा मेडता जिला नागौर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :— वादिया की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या— 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता,
प्रतिवादी संख्या — 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या — 6 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :—** 08/05/15

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हेक्टयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इसी प्रकार खसर नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टयर किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है। इस कारण वादिया ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नहीं हुये तो वादिया अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से वादिया की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.04.2023 को वादी के कब्जे व काश्त में दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए तैयार नहीं होने पर बमुकाम ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थना वादी यह कि वादी दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टयर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एंव हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करें तथा न अन्य किसी से करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 31.07.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम भावी(जे.बी) तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टयर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	कमलादेवी पुत्री राजाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	2031/1 4709 4710 4712	1.6160 0.0162 0.0971 0.0343
	कुल खसरा	4	1.7636 हैक्ट
2	गंगाराम पुत्र राजाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	2031 2031/1 4710 4712	0.8090 0.8069 0.1133 0.0344
	कुल खसरा	4	1.7657 हैक्ट
3	गोरधनराम पुत्र राजाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	2031/1 4709 4712	1.6160 0.1132 0.0344
	कुल खसरा	3	1.7636
4	सोहनलाल पुत्र राजाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	2031/1 4710 4712	1.6160 0.1132 0.0344
	कुल खसरा	3	1.7636

उक्त सारणी के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीया के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादिया :–

श्रीमति कमला देवी पुत्री राणाराम पत्नी पारसराम जाति जाट(थिरोदा) निवासी चिरढाणी तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गंगाराम पुत्र राणाराम
2. गोरधनराम पुत्र राणाराम
3. सोहनलाल पुत्र राणाराम जातियान जाट(सारण) निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. एक्सीस बैंक शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
5. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा मेडता जिला नागौर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 39 / 2023

निर्णय दिनांक :– 07/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/4/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा